# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 14/2018 दायरा दिनांक : 23.01.2018

उनवान

1— आजाद खॉ आत्मज ख्वाजू खॉ, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी दूधालिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2— सिराज खॉ आत्मज ख्वाजू खॉ, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी दूधालिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— हमीद खॉ आत्मज फकीर मोहम्मद, आयु 56 वर्ष, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी दूधालिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2— रईसा बी पुत्री फकीर मोहम्मद, आयु 70 वर्ष, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी दूधालिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ हाल सेमली काकड, तहसील सुवांसरा, जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश)

3— मुमताज बी पुत्री फकीर मोहम्मद, आयु 46 वर्ष, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी दूधालिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़ हाल मुकाम तरणोद, तहसील सुवासरा, जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश)

4— ख्वातु खॉ आत्मज फकीर मोहम्मद, आयु 60 वर्ष, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी दूधालिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

5— श्रीमान् शाखा प्रबन्धक, भूमि विकास बैंक, शाखा चौमहला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

6— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

उपस्थित – श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री औकारेश्वर शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 19.11.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – दावा/63/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री पत्रावली संग्रहसार एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को दिनांक 25.05.2016 कैम्प दूधालिया, तहसील गंगधार में प्रस्तुत की, अपीलांट ने रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 04.07.2014 की फोटो कॉपी पेश की जिसका अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं किया । अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया तथा लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । वास्तविकता इस प्रकार है कि फकीर मोहम्मद पुत्र मिठ्ठे खॉ, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी गंगधार के खाता संख्या 252 की खसरा नम्बर 1481/1 आराजी 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1494 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1497 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1499 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1500 रकबा 6 बीघा कुल 16 बीघा 19 बिस्वा ग्राम दूधालिया, तहसील गंगधार के खातेदार द्वारा दिनांक 04.07.2014 को रजिस्टर्ड वसीयत करके उस पर गवाही गवाहान करवा कर अपीलांट को संभला दी थी तब से ही उक्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त निरन्तर निर्विरोध चला आ रहा

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

है, परन्तु दिनांक 24.04.2015 को फकीर मोहम्मद पुत्र मिठ्ठे खॉ, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी गंगधार, जिला झालावाड़ का स्वर्गवास होने के पश्चात् गलततौर पर रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 के गलततौर पर खाते दर्ज कर दी इस कारण से उक्त निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है । अपीलांट की ओर से कैम्प दूधालिया में रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 04.07.2014 की विधिवत जांच करवाकर एवं उन्हें पक्षकार बनाकर न्यायोचित आदेश पारित करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षकारों की साक्ष्य को लेखबद्ध करके तत्पश्चात् उनके दस्तावेजात प्रदर्शित करवाकर तनकी वाईज आर्डर 20 नियम 5 सी पी सी के तहत निर्णय पारित करना चाहिए था । फकीर मोहम्मद पुत्र मिठ्ठे खॉ, जाति पिंजारा मुसलमान, निवासी गंगधार का स्वर्गवास हो चुका है और रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 4 को उक्त अपील में उनके कायम मुकामान बनाया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2016 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 19.11.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि फकीर मोहम्मद अपीलांट आजाद खां सिराज खॉ के दादा थे । इन्होंने हमारे नाम रजिस्टर्ड वसीयत की थी । वसीयत की तनकी बनी है । पक्षकारों की साक्ष्य लेने चाहिए न ही दस्तावेजत एक्जीविट हुए हैं । लक्ष्य पूरा करने के लिए फैसला कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय को तनकीवाईज निर्णय करना चाहिए । सेक्शन 5 के शपथ पत्र का कोई जवाब नहीं दिया । सेक्शन 137 व

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

138 एवीडेन्स एक्ट के तहत बयान व जिरह होनी चाहिए जो नहीं की गई । अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारों की साक्ष्य लेकर प्रकरण का निर्णय मेरिट के आधार पर पारित करना चाहिए जो नहीं किया । मुस्लिम लॉ में लडकों का 2/3 हिस्सा तथा लड़कियों का 1/3 हिस्सा होता है । वसीयत को आज तक चेलैन्ज नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2016 अपास्त की जावे । अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर. आर. डी. 1990 पेज 479, आर. आर. डी. 1988 पेज 23, आर. आर. डी. 14.01.2016 पेज 14, आर. आर. डी. 14.05.2016 पेज 280, आर. आर. डी. अक्टूबर 2004 पेज 607, आर. आर. टी. 2003 (1) पेज 709, आर. आर. टी. 2003 (1) पेज 647, राजस्थान काश्तकारी (टिनेन्सी) अधिनियम 1955 धारा 36क–41 पेज 48, की नजीरें पेश की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.05.2016 को प्रारम्भिक डिकी जारी की । अपीलांट हआजाद खां व सिराज खां न तो खातेदार थे और न ही पक्षकार थे । दिनांक 10.01.2017 को अपील पेश की है, जो मियाद बार है विलम्ब का कोई उचित कारण नहीं बताया गया है । रेस्पोडेंट नम्बर 4 अपीलांट का पिता है इनको मालुम था । दिनांक 04.07.2014 की रजिस्टर्ड वसीयत अपीलांट के नाम कर दी थी । दिनांक 24.04. 2015 को फकीर मोहम्मद की मृत्यु हो गई, इंतकाल खुलना चाहिए । अपीलांट को वसीयत के आधार पर 88 का दावा लाना चाहिए । 53 के दावे में रोक लगवा रहे हैं । वसीयत को 2 साल तक छिपा कर रखी है । उपखण्ड अधिकार गंगधार ने सही निर्णय पारित किया है ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि फकीर मोहम्मद अपीलांट आजाद खां व सिराज खां के दादा फकीर मोहम्मद ने आजाद खां व सिराज खां के नाम रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 04.07.2014 को की थी । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में वसीयत का उल्लेख है । इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई तनकी कायम नहीं की है, न ही पक्षकारों के साक्ष्य लिये गये हैं तथा न ही दस्तावेज एक्जीविट हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवाईज निर्णय नहीं किया है । सेक्शन 5 के शपथ पत्र का भी कोई जवाब नहीं दिया गया । एवीडेन्स एक्ट की धारा 151 व 138 के तहत बयान व जिरह होनी चाहिए थी, जो पत्रावली में नहीं ली गई । आर. आर. डी. अक्टूबर 2004 पेज 607 की नजीर यहां चस्पा होती है । अतः हम प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.05.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करें एवं प्रकरण का निर्णय मेरिट के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.01.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा